पत्रांक 1/पी.एम.सी./विविध/884/2012....................../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुशील कुमार सिंह
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (याँत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार

पटना, दिनांक-......................./2014

विषय - रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) से कम की निविदाओं में न्यूनतम अधिसीमा निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग - पत्रांक- 1/पी.एम.सी./विविध/884/2012-892 दिनांक 28.10.2014

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि पथ निर्माण विभाग से प्राप्त मन्तव्य के आलोक में रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) से कम लागत (अर्थात् नन एस.बी.डी./F2 एकरारनामा) से संबंधित निविदाओ में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2046(S) दिनांक 06.03.2014 की कन्डिका-4 के आलोक में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम अथवा 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाएँ अमान्य किये जाने का प्रावधान जल संसाधन विभाग के पत्रांक-293 दिनांक 27.03.2014 में निहित प्रावधान के साथ लागू किये जाने से संबंधित आदेश प्रासंगिक पत्र पत्रांक-892 दिनांक 28.10.2014 द्वारा निर्गत किया गया है ।

उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना है कि रू0 200.00 लाख (दो सौ लाख) से कम लागत (अर्थात् नन एस.बी.डी./F2 एकरारनामा) से संबंधित निविदाओ में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10 प्रतिशत कम तक होगी एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर उद्धृत रहने वाली निविदाएँ अमान्य किये जाने का प्रावधान जल संसाधन विभाग के पत्रांक 293 दिनांक 27.03.2014 में निहित शर्त के साथ लागू रहेगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक- 919 /पटना, दिनांक- 06/11 /2014.

प्रतिलिपि सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/ उप सचिव, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, पटना/ अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2- प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अधिष्ठापित करने हेतु प्रेषित ।

सुशील कुमार 06/11/14

(सुशील कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

Node-2/Rahman/J.S.latter